कार्यालयः निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर
E mail: dirndbr-forest-uk@nic.in Off. ph.& fax.no.. 01372252497

पत्रांक 3294 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 10 जून 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इन्दिरानगर
फोरेस्ट कॉलोनी, देहरादून।

विषयः– जनपद रूद्रप्रयाग में पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव के निर्माण हेतु 0.55 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

सन्दर्भः– उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दि0 09.06.2015 से ऑन लाइन प्रेषित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विधान सभा पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग–3 में आख्या अंकित कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,
09/06/15
(एस.एस.रसाईली)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक ____/____ दिनांकित।
प्रतिलिपि उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

निदेशक/वन संरक्षक
गोपेश्वर (चमोली)

(एस.एस.रसाईली)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

पत्रांक ____/____ दिनांकित।
प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, रूद्रप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस.एस.रसाईली)
निदेशक/वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

भाग–3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद रुद्रप्रयाग में विधान सभा पेयजल योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.55 है0 वन भूमि हस्तान्तरण

14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ / नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं*
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग–ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	इस प्रस्तावित विधान सभा पेयजल योजना का निरीक्षक उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग गोपेश्वर द्वारा दिनांक 09.06.2015 को किया गया। पेयजल योजना के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः वन संरक्षक द्वारा पेयजल योजना के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। इस पेयजल योजना के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि पेयजल योजना हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्य जीवों का आखेट न होने पावे एवं इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के किसी भी प्राविधानों का उल्लंघन न होने पावे। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के सम्बन्धित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है। अतः उप वन संरक्षक केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दी गयी टिप्पणी के आधार पर संस्तुति की जाती है।

*नोटः– इस पेयजल योजना के संरेखण में प्रतिबन्धित बांज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहे है। अतः वन संरक्षक द्वारा पेयजल योजना के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है।

तिथि 09/06/15

स्थान– ~~गोपेश्वर~~ ~~गोपेश्वर~~ जोशीमठ

(एस.एस.रसाईली)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

निदेशक / वन संरक्षक
नन्दा देवी बायोस्फियर रिजर्व
गोपेश्वर (चमोली)